भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि, संगठन कार्यप्रणाली

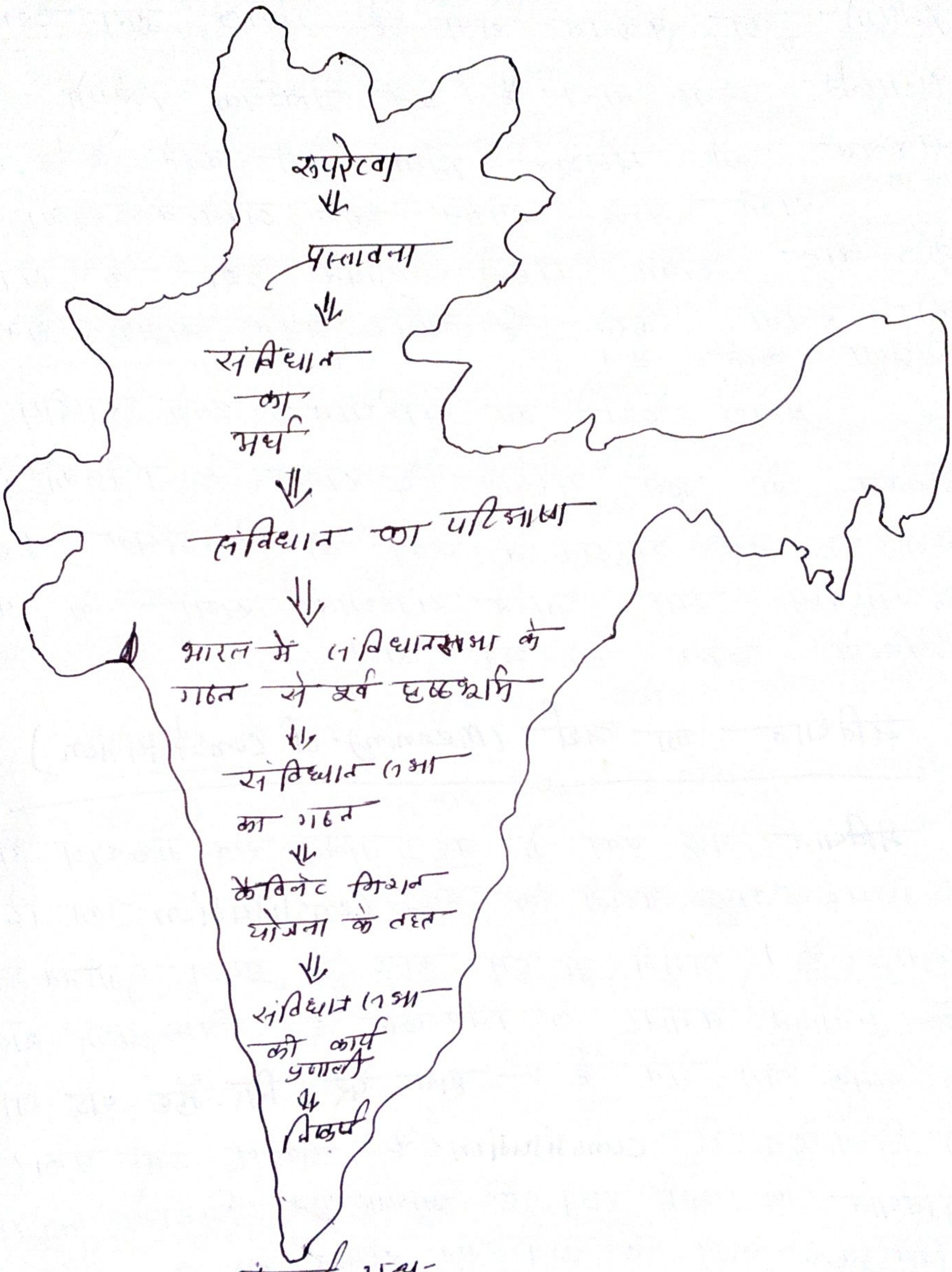

संदर्भ ग्रन्थ-

* प्रस्तावना (परिचय) :-

प्रत्येक राष्ट्र का संविधान कुछ ऐसे मूलभूत नियमों का संकलन होता है जिनके द्वारा देश को संचालित किया जाता है। इन आवश्यक नियमों के संकलन को मूलभूत नियम भी कहते है।

सभी राष्ट्र शासन का दायित्व संभालने के बाद सबसे पहले अपने देश के संविधान की रचना करते हैं और अपने संप्रभुता होने की घोषणा करते है।

प्रत्येक देश का संविधान उसके राष्ट्रीय विकास में पूर्ण सहयोग दे सकता है जिसकी रचना देश के जन-समुदाय ने स्वयं की हो अथवा जन-समुदाय द्वारा गठित संविधान सभा के प्रतिनिधियों द्वारा की गई हो।

* संविधान का अर्थ (Meaning of constitution)

'संविधान' शब्द स्वयं में बहुप्रचलित एवं महत्वपूर्ण शब्द है। यह शब्द अंग्रेजी के शब्द 'Constitution' का हिन्दी अनुवाद है। अंग्रेजी में इस शब्द का प्रयोग मानव शरीर की ढाँचागत बनावट के लिए करते है। जिस प्रकार शरीर में अनेक अंग होते हैं :- हाथ, पैर, सिर, मुँह, धड़ आदि को मिला देना ही 'constitution' है। अर्थात उसी प्रकार संविधान का अर्थ राज्य के आधारभूत सिद्धान्तों को समावेशित करके राज्य के ढाँचे एवं संगठन का निर्माण ही संविधान है।

* संविधान का परिभाषा (Definitions of Constitution)

① लॉर्ड ब्राइस (Lord Bryce) के अनुसार :-

"संविधान किसी राज्य अथवा राष्ट्र के वे नियम होते हैं, जो शासन के स्वरूप तथा उसके प्रति नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को निश्चित करते हैं।"

"राज्य का स्वरूप निर्धारित करने वाले मौलिक सिद्धान्तों को संविधान कहते हैं।" ~~शासन के ढाँचे को निर्धारित करता है~~"
— गैटिल

② गिलक्राइस्ट :- के मतानुसार :-

संविधान उन लिखित या अलिखित नियमों अथवा कानूनों का संकलन होता है जिनके द्वारा सरकार का संगठन, सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों के वितरण और उन शक्तियों के प्रयोग के सामान्य सिद्धान्त निश्चित किए जाते हैं।

③ ऑस्टिन के कथनानुसार :- "संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करते हैं।"

भारत में संविधान सभा के गठन से पूर्व की पृष्ठभूमि :—

संविधान सभा के सिद्धान्त का उद्भव 1895 ई. में सिद्धान्त का दर्शन सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक द्वारा निर्देशित निर्माण स्वराज विधेयक में मिलता है।

भविष्यद्रष्टा तिलक ने इस विधेयक के साथ ही हुंकार भरी "स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा।" इससे भारतीयों के स्वाधीनता प्रयासों में अत्यधिक तीव्रता आ गई और 1919 ई. में अंग्रेजों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट (भारतीय सरकार अधिनियम) बनाना पड़ा, जिसे मांटेग्यू - चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इसके अंतर्गत अंग्रेजों ने भारतीयों को धर्म एवं जाति के आधार पर बाँटना चाहा।

गाँधी जी ने 1922 में संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। फिर 1924 में पं. मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा के गठन की मांग रखी।

औपचारिक रूप में संविधान सभा के विचार का व्यावहारिक विचार 1934 ई. में एम. एन. राय ने प्रस्तुत किया और इसे मूर्त रूप देने के लिए भारतीयों ने ठोस प्रयास करने शुरु कर दिया। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग के बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही।

नेहरू की इस 'को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मान लिया और यही प्रस्ताव सन 1940 के 'अगस्त प्रस्ताव' के नाम से जाना जाता है।

1940 ई. के पूर्वार्द्ध में इसने खुले रूप से पाकिस्तान के प्रस्ताव को प्रतिपादित करते हुए दो पृथक-पृथक संविधान सभाओं की जोरदार माँग की। अब अंग्रेजों के सामने कांग्रेस और मुस्लिम लीग सक्रिय दोनों ही ओर से चुनौतियाँ खड़ी हो गयी। स्वयं को चारों ओर से घिरता देख अंततः ब्रिटिश उपनिवेशवादी सरकार को भारतीयों की माँग के सामने झुकते झुकने पड़े और अगस्त 1940 ई. के प्रस्ताव में लिखा गया कि "भारत का संविधान स्वभावतः स्वयं भारतवासी ही तैयार करेंगे।"

ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1942 में क्रिप्स मिशन (सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में) संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया, जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया (लीग द्वारा दो स्वायत्त राज्यों की माँग के कारण)।

संविधान सभा का गठन :—

क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद मार्च 1946 में तीन सदस्यीय कैबिनेट मिशन :—

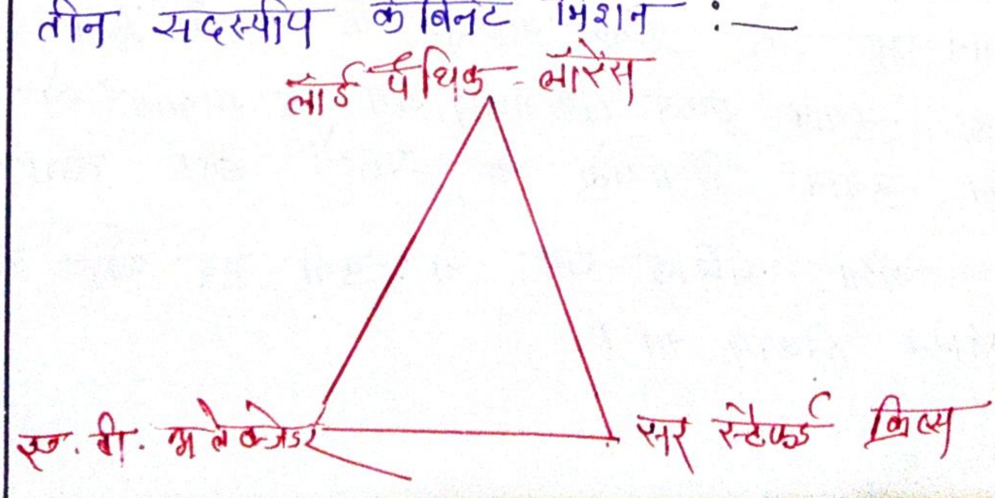

को भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन के एक प्रस्ताव के द्वारा अंततः भारतीय संविधान के निर्माण के लिये एक त्रिपक्षीय ढाँचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया गया, जिसे 'संविधान सभा' का नाम दिया गया।

कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार :—

प्रत्येक प्रांत, देशी रियासतों व राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जानी थी। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट की व्यवस्था रखी गई।

संविधान सभा की कुल 389 सीटें (सदस्य) चुने गये थे, अप्रत्यक्ष एवं सम्प्रदायिक निर्वाचन के आधार पर चुने गये थे। लॉर्ड मिंटो को 'सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक' के रूप में जाना जाता है।

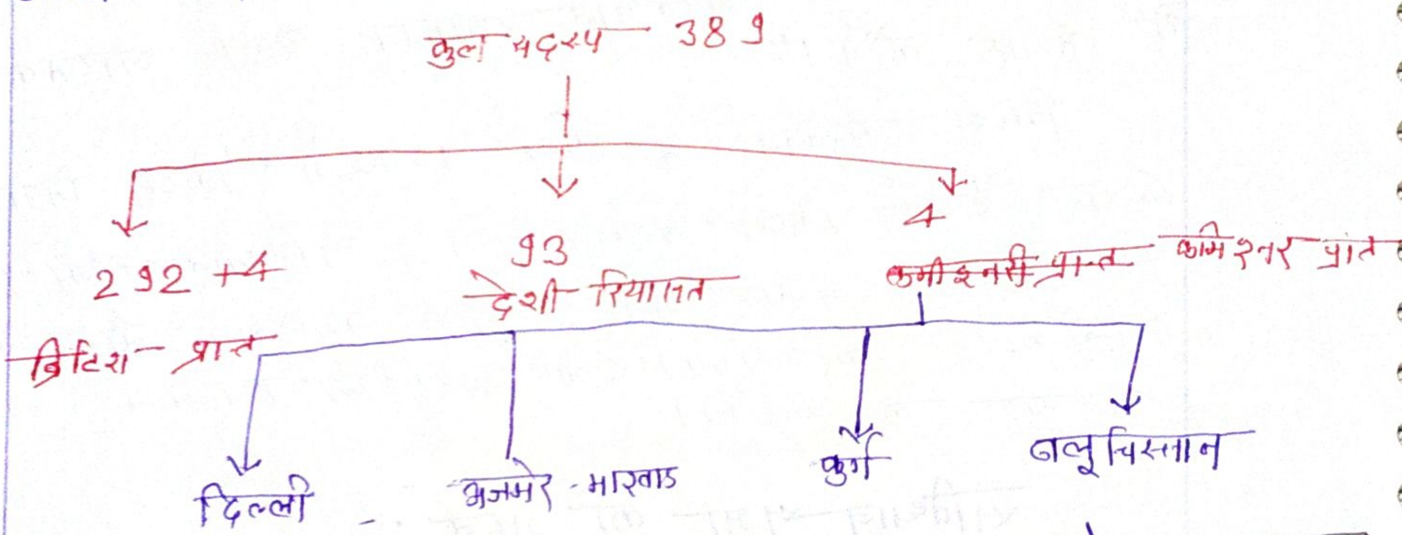

प्रत्येक प्रांत की सीटों को तीन प्रमुख समुदायों —मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बाँटा जाना था। प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक किया जाना था। प्रतिनिधियों का चुनाव रियासतों के प्रमुखों द्वारा

संविधान सभा, आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय था।

संविधान सभा हेतु ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिये जुलाई - अगस्त मे चुनाव हुए।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को – 208 सीटें

↑

15 सीटें अन्य छोटे समूहों को प्राप्त हुई ← 296 सीटों

↓

मुस्लिम लीग को 73 सीटें

जिसमें महिला सदस्य = 09, अ. ज. जाति = 23

संविधान सभा भले ही प्रत्यक्ष रूप से (वयस्क मताधिकार द्वारा) नहीं चुनी गई, फिर भी प्रत्येक समुदाय यथा – हिन्दू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल-भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। महिलाएँ भी इसमें शामिल थी।

भारत विभाजन के बाद कुल सदस्यों की संख्या = 324 थी।

अंतिम रूप से हमारे संविधान में 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किये

छत्तीसगढ़ से

बंगाल प्रान्त

03

1. पं. रविशंकर शुक्ल (रायपुर)
2. बरिस्टर छेदिलाल (बिलासपुर)
3. घनश्याम सिंह गुप्त (दुर्ग)

देशी रियासत

03

1. किशोरी मोहन त्रिपाठी (रायगढ़)
2. रघुराज सिंह (सरगुजा दीवान)
3. राम प्रसाद पोटाई (कांकेर)

संविधान सभा की कार्यप्रणाली

संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई प्रथम बैठक में डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। जिसमे 211 सदस्यों ने भागीदारी की और इस प्रकार यह भारत के विशाल बहुमत की वास्तविक साबित हुई। (फ्रांस में लोकतंत्र की दिशा में पहली संविधान सभा में भी ऐसा ही किया गया था।)

11 दिसम्बर 1946 संविधान सभा की द्वितीय बैठक डॉ. राजेन्द्र प्रसाद स्थाई अध्यक्ष और एच. सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। बी. एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया।

13 दिसम्बर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण जे० एल० नेहरु द्वारा, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के सदस्यों ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया।

26 जनवरी 1949 :— अंतिम रूप से संविधान को तैयार किया गया तथा निर्वाचन, नागरिकता, अंतरिम सदस्यों से सम्बन्धित उपबन्धों को लागू किया गया।

संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवम्बर 1949 को स्वीकृत, अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मर्पित अपने आप को किया।

इसी कारण प्रतिवर्ष 26 नवम्बर 1949 को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था, किन्तु 26 नवम्बर 2015 से इस विधि को संविधान दिवस (प्रथमबार) एवं राष्ट्रीय दिवस के रूप में बनाया गया।

संविधान सभा के वाचन

प्रथम वाचन
- 4 नवम्बर 1948 से
- 9 नवम्बर 1948

द्वितीय वाचन
- 15 नवम्बर 1948 -
- से
- 17 अक्टूबर 1949 तक

तृतीय वाचन
- 14 नवंबर 1949 —
- 26 नवंबर 1949 तक

निष्कर्ष :— भारत जैसे विशाल देश के लिए संविधान निर्माण करना कोई सरल कार्य नहीं था। इस महान एवं विस्तृत कार्य को सीमित समय के अन्दर गरिमापूर्ण ढंग से पूरा करने के उद्देश्य से संविधान सभा द्वारा अनेक समितियों का गठन किया गया।

सन्दर्भ ग्रंथ

भारतीय शासन एवं राजनीति

* डॉ. अम्बिका प्रसाद वर्मा * प्र. कविता ठक्कर
* राजनीति विज्ञान का एक समग्र अध्ययन

राजेश मिश्रा